कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांकः /व्यवस्थापन/विदेशी मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/दिनॉकः जून 13 ,2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, विदेशी मदिरा की दुकान मौना जो दिनॉक 01.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिये रू० 12163273/–के राजस्व पर श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी–फतेहपुर, नैनीताल को आवंटित की गयी थी का अनुज्ञापन आबकारी अधिनियम की धारा–34 के तहत अनुज्ञापी के जोखिम पर निरस्त कर दिया गया है। पुनर्व्यवस्थापन होने तक उक्त मदिरा दुकान को अधिकतम राजस्व प्रस्ताव के आधार पर दिनॉक 15.06.2018 से 25.06.2018 तक दैनिक आधार पर संचालन हेतु इच्छुक आवेदकों से ऑफर/आवेदन दिनॉक 14.06.2018 के सायः 05:00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय नैनीताल में आंमत्रित किये जाते है। उक्त मदिरा दुकान से सम्बन्धित अन्य कोई भी विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी, नैनीताल एवं आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1 नैनीताल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।

पत्रांकः 1083/व्यवस्थापन/विदेशी मदिरा दुकान/जि०आ०अधि०/नैनीताल/तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी , नैनीताल।
3. अपर जिलाधिकारी, (प्र०), नैनीताल।
4. संयुक्त आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून व उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 मुख्यालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को जन सामान्य के अवलोकनार्थ विभागीय बेवसाईट **www.uttrakhandexcise.org** पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी।
6. उप आबकारी आयुक्त, नैनीताल परिक्षेत्र।
7. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ बेवसाईट **www.uk.gov.in** पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. सम्पादक दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में 8×6 sq. cm में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में दिनांक 14.06.2018 को ही प्रकाशित होने वाले संस्करण में प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. कलेक्ट्रेट, विकास भवन, का0 जि0आब0अधि0, समस्त नगर पालिका व नगर निगम, समस्त तहसीलें, उप तहसीलें, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के सूचना पट पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
नैनीताल।